(ii) unemployment amongst commercial pilot's licence holders; and

(iii) financial constraints in regard to subsidising of flying clubs.

Exports to West Germany

2396. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether the exports to West Germany went up by 55 per cent in 1976; and

(b) whether there is any plan for improvement in Indo-West German trade?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Yes, Sir.

(b) The following steps have been taken for boosting Indo-German trade:

(1) Market study of specified products;

(2) Participation in fairs & exhibitions like ANUGA Food Fair, Hanovar Fair, Partners for Progress Exhibition, "Electronica" Exhibition etc.

(3) Deputing specialised delegations to West Germany for exploring possibilities for market adaptation.

The imports from West Germany are also likely to increase in view of liberalised import policy.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मारुति कम्पनी के लिये मंजूर किये गये ऋणों का रोका जाना

2397. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मारुति कम्पनी के लिए मंजूर किये ऋणों को रोकने तथा उसे दिये गये ऋणों को शीघ्र वसूल करने के आदेश दिये हैं।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : बैंकरों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अनुसरण में भी इन सभी बैंकों के ग्राहक विशेष के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। लेकिन, यह उल्लेख किया जा सकता है कि सरकार ने इस मामले में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को कोई निर्देश नहीं भेजा है।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन सरकार ने, हाल ही में, मारुति समूह की कम्पनियों के कारोबार की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। इस जांच आयोग के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ साथ, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से सुविधाएं, ऋण और सहायता प्राप्त करने सम्बंधी सभी मामले शामिल हैं जिनमें इन कंसर्नों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उनकी पात्रता, जिस सावधानी से आवेदन पत्रों पर विचार किया गया उसका स्तर और ऐसी सहायता मंजूर करने विषयक तत्कालीन प्रचलित नीतियां, प्रथाओं, नियमों और निदेशों की अनुरूपता की मात्रा की जांच करना शामिल है।

मारुति कम्पनी के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

2398. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मारुति कम्पनी के लिए गलत ढंग से ऋण स्वीकृत करने वाले सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही कर रही है और ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) और (ख) दीर्घ कालीन ऋण प्रदान करने वाली सरकारी वित्तीय संस्थाओं में से किसी ने मारुति समूह की कम्पनियों को कोई अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया है। इसलिए मारुति लिमिटेड को ऋण मंजूर करने के लिए इन संस्थाओं के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

फिर भी, हाल ही में, सरकार ने, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन मारुति समूह की कम्पनियों के कारोबार की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। इस जांच आयोग के विचारणीय विषयों, में अन्य बातों के साथ साथ ये शामिल है : (1) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से सुविधाएं, ऋण और अन्य सहायता प्राप्त करने संबंधी सभी मामले जिनमें मारुति कंसर्नों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उनकी पात्रता, जिस सावधानी से आवेदन पत्रों पर विचार किया गया उसका स्तर और ऐसी सहायता मंजूर करने विषयक तत्कालीन प्रचलित नीतियों, प्रथाओं, नियमों और निदेशों से अनुरुपता की मात्रा सम्मिलित है और (2) मारुति कंसर्नों के किसी निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक अथवा ऐसे निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक के मित्र अथवा सहयोगी द्वारा निभाई गई भूमिका और लिये गये ऋण संबंधी सभी मामले और उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों विषयक सभी बातें, जिनमें ऐसे किसी निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक की किसी मंत्री अथवा अन्य सरकारी कर्मचारी के किसी रिश्तेदारी अथवा संबंध का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ उठाया गया है तथा ऐसे लाभ को पाने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने अथवा सहायता करने वाले किसी व्यक्ति की भूमिका।

Measures to avoid dislocation in export of jute

2399. SHRI M. RAMGOPAL REDDY: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether the strike by bargemen of the Calcutta Port during May, 1977 put the jute industry in doldrums hitting the export; and

(b) if so, the remedial measures taken to avoid dislocation in the export of jute?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Yes, Sir.

(b) The Bargemen's strike was called off on 26th May, 1977 on the intervention of the Ministry of Labour. With a view to ensuring that dislocation in exports of jute and other goods does not recur, a Committee has been set up under the auspices of the Ministry of Labour to look into the problems of Barge industry operating on Hooghly.

Arrears of Income-tax against companies, firms and industries

2400. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) the names and addresses of the companies, firms and individuals against whom income-tax demand above Rs. 5 lakhs was pending and letter on written off by the Department during last four years;

(b) the reasons for writing off the income-tax demand in each case; and

(c) whether Government propose to make inquiry into those cases where income-tax demand has been written off either on political pressure or for extraneous consideration?